प्रेषक,

आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक– एनओसी. / 2011–12 दिनांकः 14 जून,2011

बिषयः रोजी पब्लिक स्कूल, कोला मोड, बरेली फर्रूखाबाद राजमार्ग, जलालाबाद, शाहजहांपुर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 14–7–09 के क्रम में गठित समिति के निर्णय दि0 14जून 2011 के क्रम में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उ0प्र0 सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

01– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

04– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कौंन्सिल फॉर दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने के तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

05– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

06– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

07– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

08– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।

09– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिबर्द्वन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

/

(सुधीर एम0 बोबडे)
आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली

पृ0सं0: एन0ओ0सी0 / 2024-3 / 2011–12 दिनांकः जून,2011

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव,उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
5– जिला विघालय निरीक्षक, शाहजहांपुर।
6– प्रबन्धक, रोजी पब्लिक स्कूल, कोला मोड, बरेली फर्रूखाबाद राजमार्ग जलालाबाद, शाहजहांपुर।
7– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली

Scanned By Scanner Go

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रोजी पब्लिक स्कूल कोला गोड़ बरेली फर्रुखाबाद हाइवे जलालाबाद,
विकास क्षेत्र–जलालाबाद, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः– बेसिक/मान्यता/15439-43 /2020–21 दिनाँक 16-03-21

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या–196/अड़सठ–3–2020–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 29 जून 2020 के कम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति निर्देश से, मैं **प्रबन्धक, रोजी पब्लिक स्कूल कोला गोड़ बरेली फर्रुखाबाद हाइवे जलालाबाद, विकास क्षेत्र–जलालाबाद, शाहजहाँपुर** को तारीख **01.04.2020** से तारीख **31.03.2023** तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा **एक (01)** से कक्षा **पॉच (05)** तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय का एक प्रथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क को संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आय का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और अधिनियम की धारा 10 के उपबन्ध का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे निस्कासित नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
9. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथाकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और है कि विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगे।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है–और
14. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों को नियोजित नहीं करेंगे।
15. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

Scanned By Scanner Go

16. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:–
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डारण कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक शौचालय
पेयजल की सुविधा
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामिग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

17. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
18. विद्यलाय भवन या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
19. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किया विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
20. स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
21. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथ्य लेखा विवरण के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
22. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
23. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी करने के लिये जारी किये जायें।
24. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
25. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र व विद्यालय भवन मानक अनुसार होना चाहिये।
शिक्षा संहिता में उल्लिखित नियमों एवं विभागीय शासनादेशों में दिये गये आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करने पर तथा अभिलेखों आदि में कोई तथ्य छिपाया/कूट रचित पाया गया तो उक्त विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

भवदीय,

(शौकीन सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर। 16/3/21

पृष्ठाकंन संख्याः– बेसिक/मान्यता/ /2020–21 तद् दिनॉक
प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर

Scanned By Scanner Go

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रवन्धक,
रोजी पब्लिक स्कूल कोला मोड़ बरेली फर्रुखाबाद हाइवे जलालाबाद,
विकास क्षेत्र–जलालाबाद, शाहजहाँपुर।

पत्रॉकः– बेसिक / मान्यता / 13017-21 / 2020–21 दिनॉक 18-03-21

विशयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या–196 / अड़सठ–3–2020–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 29 जून 2020 के कम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण की प्रति निर्देश से, मैं **प्रवन्धक, रोजी पब्लिक स्कूल कोला मोड़ बरेली फर्रुखाबाद हाइवे जलालाबाद, विकास क्षेत्र–जलालाबाद, शाहजहाँपुर** को तारीख **01.04.2020** से तारीख **31.03.2023** तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा **छः (06)** से कक्षा **आठ (08)** तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपवन्ध के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय का एक प्रथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क को संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आय का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 10 के उपबन्ध का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे निस्कासित नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
9. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथाकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और है कि विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है–और
14. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों को नियोजित नहीं करेंगे।
15. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

4

Scanned By Scanner Go

16. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैः–
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डारण कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक शौचालय
पेयजल की सुविधा
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामिग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
17. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
18. विद्यलाय भवन या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
19. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किया विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
20. स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
21. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथ्य लेखा विवरण के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
22. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
23. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी करने के लिये जारी किये जायें।
24. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
25. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र व विद्यालय भवन मानक अनुसार होना चाहिये।

शिक्षा संहिता में उल्लिखित नियमों एवं विभागीय शासनादेशों में दिये गये आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करने पर तथा अभिलेखों आदि में कोई तथ्य छिपाया/कूट रचित पाया गया तो उक्त विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

भवदीय,

(शौकीन सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर। 16/3/21

पृष्ठाकंन संख्याः– बेसिक/मान्यता/ /2020–21 तद् दिनॉक
प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–शाहजहॉपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहॉपुर

Scanned By Scanner Go